न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
445/2018	दावा 53 RTA	12.07.2018	18.06.2025

1. मुकुल सिंगतिया पुत्र सुशील कुमार जाति सिगतिया निवासी चूरू
2. दीपक अग्रवाल पुत्र पुरूषोतम दास अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी चूरू जिला चूरू
2. पूर्णी देवी पत्नी गोपालराम जाति प्रजापत निवासी चूरू
3. गोविन्दराम पुत्र खेमचन्द जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं. 14 रतनगढ जिला चूरू
4. नारायणप्रसाद पुत्र मालाराम जाति प्रजातप निवासी चूरू तह. वा जिला चूरू
5. गिरधारीलाल पुत्र गंगाराम जाति प्रजापत निवासी रामगढ तहसील फतेहपुर जिला सीकर
6. महताबसिंह पुत्र बलूराम जाति जाट निवासी नोरंगपुरा निवासी भाकरा तहसील राजगढ जिला चूरू

फौत 7. हरिसिंह पुत्र नंन्दूराम जाति जाट निवासी नोरंगपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू
7/1 श्रीमती सजना देवी पत्नी स्व.त्र हरिसिंह
7/2 सोमवीर पुत्र हरिसिंह
7/3 धर्मवीर पुत्र हरिसिंह
7/4 रोशनी पुत्री हरिसिंह
7/5 विमला पुत्री हरिसिंह

8. ओमप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
9. कमल कुमार
10. महेन्द्र कुमार
11. इन्द्रावती पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति गाडिया लुहार निवासी दुधवाखारा तहसील वा जिला चूरू
12. मलीराम पुत्र भैराराम जातिज जाट निवासी साहरण निवासी मालजी के कमरे के पीछे चूरू
    12/1 भागीरथ
    12/2 ताराचंद
    12/3 गजूराम
    12/4 संतलाल
    12/5 घनश्याम
    12/6 अमरीष
    12/7 सावित्री
    12/8 संतोष
    12/9 ज्याना देवी बेवा [illegible] जाति [illegible] चूरू
13. रूक्मणी देवी पत्नी [illegible] जाति [illegible] निवासी ओम कॉलोनी चूरू
14. हरफुलसिंह पुत्र [illegible] जिला झूझुनू
15. इकरामुलहक
16. मोइनूलहक
17. गसलदूलहक
18. अहसनुलहक
19. गयासूलहक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:15 IST
Reason: SelfAttested

20. परमेश्वरी पुत्री जगदीश प्रसाद जाति मीणा निवी चूरू जिला चूरू
21. रेशमा जोजा नथूखां जाति कायमखानी निवासी चूरू
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
23. सुभाष चन्द्र मीतड पुत्र बलूराम मीतड जाति जाट निवासी गायत्री नगर वा डनं. 45 चूरू
24. कुम्भाराम पुत्र बलूराम मीतड जाति जाट गांव कोहिणा तहसील तारानगर
25. दीपक चौधरी पुत्र सुभाष चौधरी पुत्र सुभाष मीतड जाति जाट निवासी गायत्री नगर वार्ड नं. 45 चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह वादीगण
2. अधिवक्ता श्री हीरालाल प्रतिवादी संख्या 12
3. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रतिवादी सं. 11
4. अधिवक्ता श्री मोईनउल हक प्रतिवादी संख्या 15 से 19

अन्तिम निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया है कि

1. यह कि कृषि भूमि रोही ख.न. 1012 तादादी 46 बीघा 5 बिश्वा ख. नं. 1013 तादादी 21 बीघा 5 बीश्वा खसरा नम्बर 1024 तादादी 10 बिश्वा एवं ख. नं. 1377/1011 तादादी 15 बीघा 10 बिश्वा कुल किता 4 रकबा 83 बीघा 10 बिश्वा वाके रोही चूरू तहसील चूरू वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 21 के संयुक्त खातेदारी की स्थित है।

2. यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी सं. 1 का 209 हिस्सा एवं वादी सं. 2 का 209 हिस्सा इस प्रकार कुल 418 हिस्सा यानि 20 बीघा 18 बिश्वा भूमि खातेदारी की है। शेष भूमि प्रतिवादगण सं. 1 से 21 के खातेदारी की है जिनका अलग अलग हिस्सा खातेदारी जमाबंदी में अंकित है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सं. 2067 से 2070 की प्रति दावा हाजा के साथ पेष की जा रही है।

3. यह कि उपरोक्त कृषि भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 21 ने मौके पर काश्त हेतू बाहमी तौर पर विभाजित कर रखी है जिसके मुताबिक वादीगण का कब्जा काश्त ख. नं. 1013 तादादी 21 बीघा 5 बिश्वा में से पूर्वी तरफ की 20 बीघा 18 बिश्वा रखी हुई जिसे वादीगण काश्त करते है।

4. यह कि वादगत कृषि भूमि का खाता शामिल रहने से पक्षकारान के बीच काश्त के समय तनाजा रहता है इसलिए वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का बाहमी बंटवारा के मुताबिक अलग खता व लगान कायम करवाये जिसके लिये यह दावा पेष किया जा रहा है।

5. यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया कि साथ मै चलकर वादीगण के हिस्से की खातेदारी भूमि का [illegible] करवा देवे मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे व आखिर दिनांक 30.04.[illegible] प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया लिहाजा यही [illegible] बिनाय दावा वादीगण को भूमि मजकूर का खातेदार काश्त[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:15 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि दावा कृषि भूमि विभाजन का है व लैण्ड होल्डर होने के कारण दावा हाजा में राज सरकार को दावा हाजा में पक्षकार प्रतिवादी सं. 22 बनाया गया है मगर दावा में राज्य सरकार

AG/

के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा से पूर्व धारा 80 सीपीसी के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नही है।

7. यह कि निवास स्थान फेरीकेन व वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है व दावा मुकर्रर सुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अंदर मियाद पेश है।

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

क. जरिये डिक्री कृषि भूमि क्षेत्र विभाजन कृषि भूमि ख. नं. 1012, ख.नं. 1013, ख.नं. 1024, ख. नं. 1377/1011 कुल किता 4 रकबा 83 बीघा 10 बिश्वा रोही चूरू में वादीगण सं. 1 व 2 के 418 हिस्से की भूमि का बाहमी बंटवारा जो दावा की मद सं. 3 में अंकित है, के अनुसार खाता व लगान अलग कायम कराया जावे।

ख. खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

ग. अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या हो जावे वादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस प्रतिवादी संख्या 15 से 19 की ओर से अधिवक्ता मोईनउलहक उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से भंवरसिंह राठौड/शिवगौतम सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया । प्रतिवादी संख्या 1 ता 10, 12 ता 14, 20 एवं 21 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया अखबारी साया से तामील होने के बावजूद कोई नहीं आने से प्रतिवादी संख्या 1 ता 10, 12 ता 14, 20 एवं 21 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया । वादी अधिवक्ता की ओर से प्रतिवादी संख्या 12 के वारिस को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिनको रिकॉर्ड पर लिया गया प्रतिवादी संख्या 12/1 से 12/9 की ओर से काई जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया । अधिवक्ता वादी की ओर से काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब पेश करने पर पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। जिरह हुई । साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली नियत की गई। हरिसिंह के वारिसों व प्रतिवादी संख्या 22 से 25 की ओर से एक्स पार्टी सेअ असाईड की प्रार्थना-पत्र पेश की गई जिसे जिसे विधिवत पेश नहीं किये जाने से खारिज किया गया। व अधिवक्ता उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर तनकी के आधार पर दावा प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया। कुम्भाराम व सुभाष चन्द्र मीतड की ओर से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिये खारिज किया गया। तथा दिनांक 25.07.2016 को दावा को अन्तिम रूप से डिक्री किया गया।

माननीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर की अपील सं. 126/2016 व अपील संख्या 09/2017 अनुवानी महताब बनाम मुकुलसिंगतिया आदि व दीपक चौधरी बनाम मुकुल सिंगतिया आदि में निर्णय दिनांक 14.02.2018 की प्रमाणित प्रति के संलग्न पत्रावली प्राप्त होने पर [illegible] न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 14.02.2018 में इस न्यायालय [illegible] जा[illegible] डिक्री दिनांक 15.03.2016 को अपास्त कर प्रतिप्रेषित करते हुए स्व [illegible] सभी खातेदारों को दावा में पक्षकार संयोजित कर सुन[illegible] करने के समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्[illegible]के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर करने के निर्देष दिये है। अतः माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार दावा को बाजबे नम्बर पर लिया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता वादी को संशोधित टाईटल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:15 IST
Reason: SelfAttested

पेश किये जाने की हिदायत दी गई संशोधित टाईटल पेश करने पर संशोधित टाईटल के सम्मन तलवाना पेश करने हेतु निर्देश दिये जाकर जिस प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/5 की ओर से अधिवक्ता संजय सिहाग एडवोकेट ने अण्डटेकिंग पेष की एवं प्रतिवादी सं. 06 व 23 से 25 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/5 की ओर से वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6, 7 की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 16 व आदेश 7 नियम 11 का पेश किया। जिस पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। व तथ्यों का मनन किया गया इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से भी प्रार्थना –पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया था। ये प्रतिवादी संख्या 12 की फौत दावा के दायर होने से पूर्व होना बताया है। इस सम्ब में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को दिनांक 05.02.2014 को खारिज किया गया था। चूंकि प्रतिवादी संख्या 12 के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जा चुका था अतः प्रार्थना–पत्र का कोई औचित्य नहीं है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 16 व आदेश 7 व नियम 11 को दिनांक 05.09.2019 को खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 6, 7/1 से 7/5 व 23 से 25 को जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु जवाब न दिया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश किया गया। अधिवक्ता शिवगौतम सोलंकी ओर से प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से अधिवक्ता शिवगौतम ने एकपक्षीय कार्यवाही हटवाये जाने बाबत् पेश की गई।

प्रतिवादी संख्या 12/1 से 12/5 की ओर से जबाब दावा मय काउण्ट क्लेम निम्नानुसार पेश किया गया था जिन्हे निर्णय दिनांक 25 जूलाई 2023 में शामिल किया जाकर निर्णित किया गया है जिसमें खसरा नम्बर 1012मी. उतरी पश्चिमि हिस्सा 3.0710 हैक्टेयर दी गई जिनकी ओर से आज दिनांक तक अपील नहीं की गई है।

प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है कि

1. यह कि दावा की मद संख्या 01 जो कि राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 1 से 21 की संयुक्त खातदारी की कृषि भूमि है जो तथ्य स्वीकार है।
2. यह कि दावा की मद संख्या 02 में जो वादीगण का हिस्सा लिखा गया है जो कि राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी अंकन है आंशिक स्वीकार है। क्योंकि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 21 का राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी में प्रत्येक खातेदार का हिस्सा लिखा गया है।
3. यह कि दावा की मद संख्या 03 में अंकित तथ्य आंशिक स्वीकार है क्योंकि सभी खातेदार अपने बाहमी हिस्से पर कब्जा काष्त करत आ रहे हैं जिसके मुताबिक मुझ प्रतिवादी इन्द्रावती का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 1012 तादादी 46 बीघा 05 बिश्वा में उत्तर–दक्षिण दिशा में 20 बीघा 17 1/2 बिश्वा (5.2799 हैक्टेयर) जो कि चारों ओर तारबंदी की हुई जिस पर मेरा उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।
4. यह कि दावा की मद [illegible] स्वीकार है क्योंकि यदि बाहमी बंटवारा, कब्जा काष्त के अनुसार विभ[illegible] जाता है तो मुझ जवाब प्रस्तुत कर्ता को कोई आपति व [illegible] उपरोक्त कृषि भूमि 20 बी 17.5 बिश्वा (5.2799 [illegible]न अलग किया जावे जिसके लिए यह जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया [illegible] रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:15 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि दावा की मद संख्या 5 में लिखे गये तथ्य गलत लिखे होने से अस्वीकार है वादीगण ने कभी भी प्रतिवादीगण को दिनांक 30.04.2002 को नहीं कहा और ना ही प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार किया गया है।

6. यह कि दावा की मद संख्या 6 की जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. यह कि दावा की मद संख्या 7 की जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. यह कि दावा की मद संख्या 7(क) जो कि आंशिक स्वीकार है क्योंकि मौके पर कब्जे व काश्त के अनुसार व बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार हिस्सा पांती किया जाता है तो मुझ जवाबकर्ता को कोई आपति व एतराज नहीं है।

9. यह कि दावा की मद संख्या 7(ख) में दर्ज तथ्य अस्वीकार किया जाता है क्योंकि मुझ प्रतिवादी को वादीगण से हर्जा खर्चा दिलवाया जावे।

10. यह कि दावा की मद संख्या 7(ग) में दर्ज अस्वीकर किया जाता है है अन्य न्यायोचित अनुतोष हितकर प्रतिवादी हो या हो जावें प्रतिवादी को दिलवाया जावे।

काउण्टर क्लेम

11. यह कि उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1012 तादादी 46 बीघा 5 बिश्वा खसरा नम्बर 1013 तादादी 21 बीघा 5 बिश्वा, खसरा नम्बर 1024 तादादी 10 बिश्वा व खसरा नम्बर 1377/10 तादादी 15 बीघा 10 बिश्वा कुल किता 04 कुल तादादी 83 बीघा 10 बिश्वा रोही कस्बा चूरू वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रतिवादीनी की सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा पांति की है जो कि 20 बीघा 17.5 बिश्वा (5.2799 हैक्टेयर) कृषि भूमि बनती है जो कि सह खातेदार ने अपसी बाहमी बंटवारानामा किया है के अनुसार मुझ प्रतिवादीनी को खसरा नम्बर 1012 में से 20 बीघा 17.5 बिश्वा(5.2799) हैक्टेयर कृषि भूमि बनती है जो कि सह खातेदार ने आपसी बाहमी बंटवारानाम किया है के अनुसार मुझ प्रतिवादीनी को खसरा नम्बर 1012 में से 20 बीघा 17.5 बिश्वा (5.2799) कृषि भूमि खसरा नम्बर 1012 की उतरी दक्षिणि दिशा की कृषि भूमि मेरे कब्जा काश्त में है जिसके चारों ओर मेरे द्वारा ताबंदी की गई है जो मेरे कब्जा काष्त में है।

12. यह कि उक्त कृषि भूमि सभी खातेदार ने मौके पर आपस में बाहमी बंटवारा किया गया है और मौके पर सभी खातेदारों का कब्जा काश्त है और मुझ प्रतिवादीनी ने मेरे हिस्से पांति उक्त कृषि भूमि का खाता व लगान अलग-अलग करते हुए रास्ते का अंकन किया जावे जिससे मुझ प्रतिवादीनी को अपने हिस्से कृषि भूमि में आने जाने के रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे आगे किसी प्रकार रास्ते संबंधित विवाद ना हो सके।

13. यह कि दावा विभाजन होने के कारण तथा प्रतिवादीनी का अपना हिस्सा 1/4(20 बीघा 17.5 बिश्वा (5.2799 हैक्टेयर) का खाता विभाजन करवाना चाहता है इसलिए यह काउन्टर क्लेम माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट होने के कारण उचित कोर्ट शुल्क पर [illegible]

अत: लिखित कथन व जवाब दावा म[illegible]उण[illegible] क्लेम पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त कृषि भूमि में से 1/4 हिस्से [illegible] हैक्टेयर) का खता अलग से विभाजन कर रास्ते का अंकन [illegible]दीनी के नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन किया जावे वा इसी मुताबिक नक्शा व[illegible]जस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती का अलग नक्शा कायम कर उसमें रास्ते का अंकन किये जाने का आदेश तहसीलदार चूरू को दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:15 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 23 से 25, 6, 7/1 से 7/5 ने उपस्थित होकर राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त शिर्षक वाद में वादीगण एव हम प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मौजिक व्यक्तियों के समक्ष बैठकर आपस में बाहमी राजीनामा कर लिया है। अतः आपसी राजीनामा के मुताबिक हम प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष रोही मौजा चूरू में स्थित कृषि भूमि ख. नं. 1012 तादादी 46.45 बीघा ख. नं. 1013 तादादी 21.05 बीघा, खसरा नम्बर 1024 तादादी 10 बिश्वा ख.नं. 1377/1001 तादादी 15.10 बीघा, किता--4 कुल तादादी 83.10 बीघा भूमि के खाता एवं लगान के विभाजन के लिए तहसीलदार चूरू द्वारा पूर्व में दिनांक 04.07.2016 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा को स्वीकारते हुए अदालतवाला द्वारा पारित खाता विभाजन के अंतिम डिक्री के मुताबिक ही अंतिम रूप से सहमत हुए हैं।

प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी में प्रतिवादी संख्या 12 के फौत होना दावा पेश किये जाने से पूर्व होना बताया है व प्रतिवादी संख्या 07 हीरसिंह की मृत्यु दौराने विचारण दावा दिनांक 32.10.2024 को होना बताया है। जिस संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं भू प्रबंधन अधिकारी बीकानेर के आदेश की पालना में दिनांक 01.09.2018 को संशोधित टाईटल पेश किया जा चुका है तथा इस संबंध में दिनांक 05.09.2019 को प्रार्थना-पत्र आदेश 06 नियम 16 प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पहले ही खारिज किया जा चुका है। अतः यदि जब इस संबंध में पूर्व प्रार्थना-पत्र खारिज की जा चुकी है तो वर्तमान अब इस प्रार्थना-पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 04 प्रस्तुती दिनांक 19.09.2019 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र बाबत् एक्स पार्टी हटाने बाबत् में अप्रार्थी संख्या 20 कि ओर से निवेदन किया गया है कि उक्त पत्रावली में प्रतिवादीनी संख्या 20 दिनांक 30.11.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है यह कि प्रार्थीनी अनपढ भोली भाली घरेलु महिला है जिसको उक्त दावा व तलबी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है उक्त वादगत कृषि भूमि में वादीनी खातेदार काश्कार है अतः एक्स पार्टी की कार्यवाही हटायी जावे प्रार्थना-पत्र लगभग 9 वर्ष बाद प्रस्तुत हुई है तथा मियाद माफी का प्रार्थना-पत्र संलग्न नहीं है व न्यायालय में उपस्थित न रहने का कोई उचित कारण नहीं दिया है प्रार्थीनी की प्रार्थना-पत्र खारिज की जाती है। प्रतिवादी 15 से 19 की ओर से आज दिनांक तक जवाब नहीं दिया गया है तथा पूर्व में ही इनको निर्णय में शामिल नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 15 से 19 का जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 12/1 से 12/9 को पूर्व में ही निर्णय में शामिल किया गया है। अतः पूर्व प्रतिवादी संख्या 12/1 से 12/9 को जवाब दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर.ए.ए. के निर्णय दिनांक 14.02.2018 में प्रकरण इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया गया है कि वे स्व. हरिसिंह के वारिसानो को राजस्व वाद में पक्षकार संयोजित किया जावे जिसकी पालना की जाकर हरिसिंह के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/5 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जा चुका है। एवं जमाबंदी में दर्ज समस्त रिकॉर्डेड खातेदारों को पक्षकार बनाकर जिन्हे ततसमय संशोधित टाईटल में पक्षकार बनाया जा [illegible] सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेष करने के समुचित अवसर प्रदान कर महताब पुत्र ब[illegible] चौधरी पुत्र सुभाषचन्द्र मीतड़ है हरिसिंह के वारिसान सुभाषचन्द्र [illegible] ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। राजीनामा [illegible] चौधरी, महताबसिंह, कुम्भाराम, मु. सजना देवी, सोमवीर, रोशनी, बिमला, धर्मवीर, सुभाषचन्द्र [illegible] वादीगण मुकुल सिंगतिया, दीपक अग्रवाल आदि ने निवेदन किया है कि उपर्युक्त शिर्षक वाद में वादीगण एव हम प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मौजिज व्यक्तियों के समक्ष बैठकर आपस में बाहमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:15 IST
Reason: SelfAttested

44/

राजीनामा कर लिया है। आपसी राजीनामा के मुताबिक हम प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष रोही मौजा चूरू में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 1012 तादादी 46.45 बीघा, ख.नं. 1013 तादादी 21.05 बीघा, खसरा नम्बर 1024 तादादी 10 बिश्वा एवं खसरा नम्बर 1377/1001 तादादी 15.10बीघा किता–4 कुल तादादी 83.10 बीघा भूमि के खाता एवं लगान के विभाजन के लिए तहसीलदार चूरू द्वारा पूर्व में दिनांक 04.07.2016 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा को स्वीकारते हुए अदालतवाला द्वारा पारित खाता विभाजन एवं नक्शा को स्वीकारते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने के लिए हर भांति सहमत है। हम प्रतिवादीगण का दावा हाजा के वादीगण से किसी भांति का कोई विवाद नही रहा है। हम प्रतिवादीगण को तहसीलदार चूरू द्वारा पूर्व दिनांक 04.07.2016 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा के मुताबिक खाता एवं लगान के विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने में कोई आपति नहीं है तथा भविष्य में किसी भांति आपति करने का हम प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं होगा। राजीनामा हाजा के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्षा एनेक्चर ए तथा बी राजीनामा हाजा का अभिन्न भग एवं अंश शुमार है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर अर्ज है कि वादीगण का वाद तहसीलदार चूरू द्वारा पूर्व में दिनांक 04.07.2016 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तथा राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्चर ए तथा बी के मुताबिक राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री फरमाये जाने की कृपा करें।

दावा न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित आदेश पूर्व में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व भू प्रबंध एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के आदेश राजीनामा आद के अवलोकन से निष्कर्ष निकलता है कि यह वाद वादीगण मुकुल सिंगतिया व संतोष कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वे खसरा संख्या 1012, 1013, 1024 व 1377/1011 कुल रकबा 83 बीघा 10 बिश्वा भूमि में 418 हिस्सा (लगभग 20 बीघा 18 बिश्वा) के सह खातेदार हैं, और वे अपने हिस्से की भूमि पर वर्षों से कब्जे में रहकर खेती कर रहे हैं। चूंकि भूमि का मौके पर बंटवारा हो चुका है परंतु राजस्व रिकॉर्ड में पृथक्करण नहीं हुआ, अतः उन्होंने पृथक खातेदारी निर्धारण हेतु वाद प्रस्तुत किया।

वादीगण ने यह भी दर्शाया कि तहसीलदार चूरू द्वारा 04.07.2016 को नजरी निरीक्षण कर एक विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा तैयार किया गया था, जिस पर अधिकतर खातेदारों की सहमति थी। वादीगण के साथ कुल 18 प्रतिवादीगण ने राजीनामा कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 11 (इंद्रावती) ने पृथक से काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया।

राजस्व अपीलीय अधिकरण (RAA) द्वारा पूर्व में वाद को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया गया कि " **स्व. हरिसिंह के वारिसानो को राजस्व वाद में पक्षकार संयोजित किया जावे एवं जमाबंदी में दर्ज सभी रिकॉर्डेड खातेदारों को पक्षकार बनाका अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेष करने के समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार करे।**" अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाए। यह स्पष्ट रूप से अभिलेख में अंकित है कि RAA का निर्देश केवल अपीलार्थी के संबंध में था, न कि अन्य प्रतिवादगण 11 या अन्य किसी के स...

वादीगण की हिस्सेदारी, ... प्रमाणित है। तहसील द्वारा प्रस्तावित नक्शे के अनुसार उनके हिस्से का ... किया जा चुका है। वादीगण मौके पर स्वतंत्र खेती कर रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 11 (इंद्रावती) द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम, भू प्रबंधन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के आदेश की भावना व दायरे से बाहर जाकर प्रस्तुत किया गया है। भू

Au/

प्रबंधन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने केवल अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने हेतु निर्देशित किया था, अन्य प्रतिवादीगण को नहीं।

अतः न्यायालय यह मानता है कि यह काउंटर क्लेम भू प्रबंधन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के आदेश की सीमाओं के विरुद्ध तथा प्रक्रियात्मक रूप से अवैध है, अतः यह अस्वीकार (Dismissed) किया जाता है।

कई प्रतिवादीगणों को बार–बार अवसर दिये जाने बावजूद इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नही कर अन्य प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निर्णय में देरी करने की भावना रख रहे है इनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया जाकर जवाब बंद किया जान न्यायोचित है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नक्शा व्यावहारिक व न्यायसंगत प्रतीत होता है, जिसमें भूमि की स्थिति, का संतुलित रूप से ध्यान रखा गया है। पक्षकारों की सहमति से यह अनुमोदित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय को उचित प्रतीत होता है कि वादीगण मुकुल सिंगतिया व दीपक अग्रवाल को कुल 418 हिस्सा (20 बीघा 18 बिश्वा) भूमि का पृथक खाता किये जाने की अनुमति दी जानी तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व नक्शा दिनांक 04.07.2016 को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 11 का काउंटर क्लेम खारिज किया जावे, क्योंकि यह RAA के आदेश के विरुद्ध है एवं विधिसम्मत नहीं है। राजीनामा करने वाले पक्षों के हिस्से, राजीनामा व नक्शे के अनुसार पृथक कर दिए जाएं। प्रतिवादीगण संख्या 15 से 19 का जवाब बन्द किया जावे।

निर्णय

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादगत कृषि भूमि रोही कस्बा चूरू के खसरा नम्बर 1012, 1013, 1024, 1377/1011 कुल तादादी 83.10 बीघा में वादीगण मुकुल सिंगतिया व दीपक अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत दावा, जिसमें वादीगण के खातेदारी हिस्से (418 हिस्सा अर्थात 20 बीघा 18 बिश्वा भूमि) का पृथक खाता एवं लगान निर्धारण की मांग की गई थी, स्वीकृत की जाती है। तहसीलदार चूरू द्वारा दिनांक 03.16.2016 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 6, 7/1 से 7/5, 23, 24, 25 के मध्य आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विभाजन हेतु अलग से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करें। यह राजीनामा नजरी नक्शा (एनेक्सचर–A व B) सहित वाद का अभिन्न भाग माना जाएगा। दावा वादीगण एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण संख्या 12/1 से 12/9 को स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी डिक्री दिनांक 25.07.2016 को पुष्ट किया जाकर अंतिम डिक्री दिनांक 25.07.2016 व राजीनामा के संलग्न नक्शा परिष्ट ए एव बी तथा तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.06.2016 एवं संल[illegible] विभाजन कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार [illegible] अभिलेख में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:15 IST
Reason: SelfAttested

(विजेन्द्र सिंह) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, चूरू